वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 17.04.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट,आज,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 17.04.2025

वीडीए में रजिस्ट्री के लिए लगा विशेष कैंप

वाराणसी। वीडीए की ओर से रजिस्ट्री के लिए विशेष कैंप लगाया गया। एक छत के नीचे पूरी प्रक्रिया कराई गई। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देशन में कैंप लगाया गया। रजिस्ट्री से संबंधित कार्य जैसे स्टांप वेंडर, डेट टाइपिंग, डेट अलॉटमेंट और डीड तैयार कर रजिस्ट्री की प्रक्रिया एक ही छत के नीचे पूरी कराई गई। रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज लिए गए। हेल्प डेस्क से फॉर्म दिए गए। यह पहल नागरिकों को त्वरित, सरल और पारदर्शी सेवा देने के लिए की गई। ब्यूरो

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 17.04.2025

वीडीए द्वारा सेंट्रल जेल रोड पर बना नया पाथवे लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है. यह पाथवे न सिर्फ चौड़ा और आरामदायक है, बल्कि भारतीय संस्कृति की झलक भी यहां पर दिख रही है. हरियाली और रोशनी से सजा यह पाथवे न केवल सुंदर दिख रहा है, बल्कि दिव्यांगों के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित और सुविधाजनक है.

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 17.04.2025

तीन आवासीय योजनाकी रजिस्ट्री विप्रा सभागारमें आज

विकास प्राधिकरणके उपाध्यक्ष पुलकित गर्गके निर्देशपर गुरुवारको लालपुर, पाण्डेयपुर, बड़ी गैबीके आवास सम्बन्धी रजिस्ट्रीके लिए कैम्पका आयोजन किया गया है। पहले भवन स्वामीको रजिस्ट्री करानेके लिए कचहरी जाना पड़ता था लेकिन विप्रा सम्पत्तियोंकी रजिस्ट्री अब कैम्पसमें ही होगी। इसके लिए प्रातः ११ बजे से सायं चार बजे तक समय निर्धारित किया गया है। रजिस्ट्रीके समय स्टाम्प वेण्डर, डेट टाइपिंग, डेट अलाटमेंट एवं डीड भी तैयार की जायेगी। जिसके बाद रजिस्ट्रीकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा किया जायेगा। जिन लोगोंका सम्बन्धित आवासीय योजनामें फ्लैट है वे अपने साथ जरूरी दस्तावेजमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइजकी चार फोटो, इसके अलावा दो गवाहोंका दस्तावेज भी देने होंगे, जिसमें गवाहोंके पैनकार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइजके चार फोटो लिये जायेंगे। रजिस्ट्रीके लिए सेल डीड, लीज डीड और फ्री होल्डका फार्म विप्राके हेल्प डेस्कपर उपलब्ध है। संबंधित सम्पत्तिके लिए निबन्धनका स्टाम्प शुल्क भी कार्यालयमें ही जमा होगा। सम्बन्धित विषयमें उपाध्यक्षने बताया कि इस प्रक्रियासे विप्राके आवासकी रजिस्ट्री कराने वालोंको त्वरित और सरल और पारदर्शी सेवा प्रदान की जायेगी। रजिस्ट्रीकी काररवाई विप्रामें प्रथम बार की जा रही है।